

23/5/25 पर्यावली पेढी में ली गई। लक्ष्मील
परांक CR/1445 दिनांक 30/4/25
द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ
उभयपक्ष ने विभाजन पर अनापत्ति
व्यक्त की। वाद पथ मुताबिक
विभाजन प्रस्ताव डिब्बी किया
जाता है कि पर्चा डिब्बी जारी
है। पर्यावली फ़ैसल अंश
कर नंबर 11 कम की पाकर
दाखल दर्खा की जाती
है आदेश सुनाया गया।

राज्यक कानून
एवं उपबन्धनिकारी
हनुमानगढ़

